क्रमांक 260-4 जी0एस0-II-72/10295

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला मण्डल, सभी उपायुक्त और सभी उप मण्डल अधिकारी, हरियाणा
2. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट और सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़, 17-4-1972

विषय : निर्योग्य भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी सेवा में रियायतें का देना ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि हरियाणा सरकार के अनुदेश क्रमांक 1520-4 जी0एस0-II-71/8796, दिनां 23-4-71 का हवाला दूं जिसके अनुसार जब कभी निर्योग्य (Disabled) भूतपूर्व सैनिकों को सेना अधिकारियों द्वा मैडिकल पुनरिक्षण के लिए बुलाया जावे, तो उनके अस्पताली समय को ड्यूटी समझा जावे ।

2. अब यह निर्णय किया गया है कि उपरोक्त कथित अनुदेश 19-6-1970 से लागू समझे जायगे जब सर्व-प्रथम निर्योग्य भूतपूर्व सैनिको को लिम्ब ग्रेफटिंग (Limb grafting) के लिए अस्पताली समय को ड्यूटी समय सम जाने के अनुदेश लागू हैं ।

यह वित्त विभाग की सहमति उनके अशा0 क्रमांक 131?-5 एफ0आर0-72, दिनांक 21-3-72 द्वारा प्रा कर जारी किया जाता है

कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

हस्ता

उप सचिव, सामान्य प्रशासन

कृते0 मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक प्रति सभी वित्तायुक्त, हरियाणा तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ प्रेषित है

विषय : सिविल कर्मचारियों व अन्य व्यक्तियों को रियायतें जो कि आपातकाल में सैनिक सेवा में भर्ती हुए थे ।